REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2018

कारावासित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने का अधिकारः एक आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ. राजकुमार
सहायक आचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0)

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम जन चौकीदार[1] के वाद में निर्णय देते हुए यह प्रतिपादित किया कि एक व्यक्ति, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 62 (5) के अधीन किसी कारावास या पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध होने के कारण किसी चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं रखता है, वह मतदाता नहीं है और इसलिए, वह इस अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के अधीन लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। यह निर्णय राजनीतिक दलों में घोर विवाद उत्पन्न किया तथा वे इसे निष्प्रभावी बनाने के लिए संगठित हो गये। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार ने इस पर पुनर्विचार याचिका के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ली तथा पुनर्विचार याचिका के लम्बित रहने के दौरान संसद ने 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण') अधिनियम, 2013 पारित कर दिया। इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का इस शोध पत्र में विश्लेषण किया गया है।

विधिक परिपेक्ष्यः

लोक सभा एवं किसी राज्य की विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएँ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धाराओं 4 और 5 में क्रमशः दी गई हैं। उन योग्यताओं में से एक योग्यता यह है कि व्यक्ति, लोक सभा के चुनाव के मामले में, किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो और किसी राज्य की विधान सभा के चुनाव के मामले में, उस विधान सभा चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो जिसमें विधान सभा चुनाव लड़ना हो ''मतदाता'' पद इस अधिनियम की धारा 2 (e) में परिभाषित है जिसके अनुसार इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 16 में वर्णित निर्योग्यताओं में से किसी के अधीन नहीं है। इस अधिनियम की धारा 16 में वर्णित मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने के लिए जिम्मेदार निर्योग्यताओं में से एक निर्योग्यता यह है कि व्यक्ति भ्रष्ट आचरण एवं चुनाव से जुड़े अपराधों से सम्बन्धित विधि के उपबंधों के अधीन निर्योग्य नहीं है।

मतदान के लिए निर्योग्यता 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 11(A)में दी गई हैं जिसके अनुसार मतदान के लिए निर्योग्यता भारतीय दण्ड संहिता एवं 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन दोषसिद्धि एवं भ्रष्ट आचरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। मतदान का अधिकार 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत कुछ परिसीमाओं के साथ प्रदान किया गया है जो कि उसी धारा में वर्णित हैं। सप्ष्ट है कि इन परिसीमाओं का उल्लंघन किसी व्यक्ति को मतदान के लिए निर्योग्य बना देता है।

इस अधिनियम की धारा 62 में वर्णित परिसीमाओं में से एक परिसीमा इस धारा की उपधारा (5) में यह है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास की सजा या निर्वासन के अधीन या अन्यथा किसी कारावास में निरुद्ध है अथवा पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है तो वह किसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकेगा।

[1]उच्चतम न्यायालय, 10 जुलाई 2013.

न्यायिक निर्णयः

प्रस्तुत विचाराधीन ***जन चौकीदार के वाद में*** यह प्रतिवाद करते हुए रिट याचिकायें पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थीं कि एक व्यक्ति जो धारा 62 की उपधारा (5) के कारण मतदान के लिए अधिकृत नहीं है और इस प्रकार से एक मतदाता नहीं है, वह इस अधिनियम की धारा 4 और 5 के उपबंधों के आधार पर लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है।[2] उच्च न्यायालय ने इस प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए यह धारित किया कि मतदान करना एक सांविधिक अधिकार है जिसे वापस लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में होने के कारण जब किसी व्यक्ति की मतदाता होने की योग्यता वापस ले ली जाती है तो वह मतदाता मतदान करने के लिए योग्य नहीं रह जाता है।[3]

उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की। उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि उच्च न्यायलय के निर्णय में कोई दोष नहीं है तथा उसके मत को पुष्ट करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (5) के उपबंध के कारण मतदान करने का अधिकार नहीं रखता है तो वह मतदाता नहीं रह जाता है और इस कारणवश वह लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है।[4]

यह निर्णय राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। 1950 एवं 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन बनायी गयी योजना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अभूतपूर्व प्रारूप प्रदान करती है जो कि प्रजातंत्र के लिए सारभूत है। कारावास एवं पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों को मतदान करने एवं चुनाव लड़ने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया एवं सरकार के गठन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं।

राजनीतिक दलों का पक्ष

इस निर्णय की राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुख्यतया इस आधार पर आलोचना हुई कि इससे धारा 62(5) के दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ जायेगी क्योंकि, सशक्त राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वन्दी को जेल भेजवाकर उसे चुनाव लड़ने से रोक सकता है। इस सन्दर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार का प्रतिवाद किसी भी विधि के किसी भी उपबंध के विषय में उठ सकता है। अतः यहाँ सम्बन्धित विधि के प्रासंगिक उपबंधों की विवेचना आवश्यक हो जाती है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के अधीन कोई व्यक्ति दो प्रकार से निरुद्ध हो सकता है या तो पुलिस अभिरक्षा में या कारावास में। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत किसी कारित अपराध के लिए कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में इसी संहिता की धारा 167 (2) के अधीन जारी मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना चौबीस घंटे से ज्यादा की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं हो सकता है। धारा 167(2) के अधीन मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में निरुद्धि अधिक से अधिक पन्द्रह दिन की अवधि के लिए अधिकृत कर सकता है यदि वह समझता है कि चौबीस घंटे की अवधि में कारित अपराध की जाँच (इन्वेस्टीगेशन) पूरी नहीं हो सकती है। धारा 167 के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरुद्धि को अधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन निरुद्धि को अधिकृत करने के कारणों का अभिलेख तैयार करेगा तथा उपधारा (4) के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से इतर कोई मजिस्ट्रेट निरुद्धि को अधिकृत करने वाले आदेश की कारण सहित प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रसारित करेगा।

धारा 62(5) के अर्न्तगत कोई व्यक्ति कारावास में या किसी कारावास के दण्ड के या निर्वासन के परिणामस्वरूप अथवा अन्यथा निरुद्ध हो सकता है। स्पष्ट है कि कारावासित व्यक्ति को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है– 1. दोषसिद्धि पर दण्ड के परिणामस्वरूप कारावासित व्यक्ति तथा 2. न्यायिक अभिरक्षा के अधीन व्यक्ति अथवा विचाराधीन कैदी, जैसा कि "अन्यथा" पद व्यक्त करता है। धारा 167(2) के परन्तुक के पैराग्रॉफ (अ) के अधीन कोई अभियुक्त व्यक्ति नब्बे दिन से ज्यादा की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं हो सकता है जब जहाँ जाँच मृत्युदण्ड,

[2]तत्रैव पैरा 5.
[3]तत्रैव.
[4]तत्रैव. पैरा 6.

आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित हो तथा जहाँ जाँच अन्य अपराधों से सम्बन्धित हो वहाँ साठ दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

समीक्षा एवं सुझाव

दण्ड प्रक्रिया संहिता के पूर्वोक्त उपबंधों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस संहिता के अन्तर्गत अभियोजन की प्रक्रिया पर पर्याप्त नियंत्रण है तथा किसी व्यक्ति को मिथ्या अभियोजित करने का अवसर विधि में नहीं है। किन्तु, भारतीय पुलिस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मिथ्या निरुद्धि की सम्भावना रहती है। अतः धारा 62(5) से ''विधि पूर्ण पुलिस अभिरक्षा'' पद का निरसन उचित होगा। किन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013' के माध्यम से धारा 62(5) में परन्तुक जोड़कर किसी भी कारावासित व्यक्ति को मतादाता मानते हुए उसे चुनाव लड़ने के लिए योग्य बना दिया गया तथा इस संशोधन के बाद उच्चतम न्यायालय ने भी पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस सम्बन्ध में विधायिका ने विधि का निर्माण कर दिया है।

यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि कारावासित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाने से राजनीति के अपराधीकरण का दायरा बढ़ गया तथा इससे देश का विकास अवरुद्ध होगा। पूर्वोक्त विवेचना के प्रकाश में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2013' केवल राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर पारित हुआ है तथा देश हित की पूरी तरह उपेक्षा हुई है। अतः 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) में पुनः संशोधन अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत इस धारा से ''विधि पूर्ण पुलिस अभिरक्षा'' पद तथा 2013 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया परन्तुक निरसित किया जाना जरूरी है जिससे कि राजनीतिक के अपराधीकरण का दायरा बढ़ने से रोका जा सके।

डॉ. राजकुमार
सहायक आचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0)